न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 38 / 2014 / डिक्री

1. नानालाल पिता नारायण गुर्जर
2. भंवरलाल पिता नारायण लाल गुर्जर
3. भगवाना पिता नारायण गुर्जर
4. शम्भु पिता नारायण गुर्जर
5. रूपा पिता खुमा गुर्जर

सभी निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. रतन पिता नन्दा गुर्जर
2. हीरालाल पिता नन्दा गुर्जर
3. सुखा पिता नन्दा गुर्जर
4. दुदा पिता नन्दा गुर्जर
5. केशी बेवा नन्दा गुर्जर
6. गिरधारी पिता कस्तुर गुर्जर

सभी निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

7. राज्य जरिये तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राशमी
दिनांक 12.04.2014 प्रकरण सं. 46 / 2013

उपस्थित – 1. श्री सत्यनाराण ईनाणी – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय दिनांक– 11.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन कराये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण भालोटा की खेडी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि मौजा भालोटा की खेडी पटवारी मण्डल भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ के हल्के बेरूनी खाता संख्या 161 आ.न. 1085 रकबा 0.06, 1089 रकबा 0.19 बीघा, 1362 रकबा 5.10 बीघा, 1384 रकबा 1.03 बीघा, 1085 रकबा 0.5.09 बीघा, 1086 रकबा 0.11 बीघा, 1102 रकबा 3.14 बीघा,

1522 रकबा 3.06 बीघा, 1669 रकबा 2.03 बीघा, 1670 रकबा 1.17 बीघा, 1675 रकबा 1.04 बीघा 1836 रकबा 0.16 बीघा, 1837 रकबा 2.01 बीघा, 1838 रकबा 5.00 बीघा, 1841 रकबा 3.01 बीघा, 2001 रकबा 0.03 बीघा, 2002 रकबा 1.08 बीघा कुल किता 21 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा है। उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी संख्या 1 से 5 का 1/4 एवं वादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा निहित है। इसी हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अपने दर्ज रिकार्ड हिस्सा अनुसार विभाजन कर हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार विभाजन करने के लिए कहने पर भी वह राजी नही हुआ। जो बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन के तलब किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नही की एवं लोक अदालत मे बिना सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान किये बिना आपसी सहमति से राजीनामा की भावना से वाद डिक्री करने मे गलती की है। हम प्रतिवादीगण की ओर से कोई सहमति नही दी गई और न ही कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया और न ही राजीनामा हो जाने बाबत कोई कथन किया। ऐसी स्थिति मे आपसी सहमति मानकर वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जो अनुचित एवं अवैध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री एवं निर्णय दिनांक 12/04/2014 निरस्त फरमायी जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति मानकर जो वाद डिक्री किया गया है वह न्यायोचित नही है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई राजीनामा उपलब्ध नही है, केवल उपस्थित मात्र दर्ज की गई है लिखित मे कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का फैसला अपास्त किया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थिति नही आने के कारण उनका पक्ष/अभिभाषक उपस्थित नही हो सका।

5. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया। फैसले मे

वर्णित किसी प्रकार का राजीनामा पत्रावली मे उपलब्ध नही है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा प्रकरण संख्या 46/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12/04/2014 अपास्त की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्ययालय को प्रतिप्रेतिषत किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़